भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4845

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजीकृत स्टार्टअप

4845. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत स्टार्टअप की कुल संख्या कितनी है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त पंजीकृत स्टार्टअप को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में स्टार्टअप को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) उक्त सहायता को सरकारी योजनाओं और निजी वित्तपोषण के बीच किस प्रकार विभाजित किया गया है;

(घ) उत्तरजीविता और राजस्व सृजन के संदर्भ में स्टार्टअप की राज्यवार सफलता दर कितनी है; और

(ङ) उक्त सफलता के निर्धारण के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार 1,61,150 कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 के दौरान, मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) ताकि स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करती है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती है। एफएफएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त एआईएफ को, एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि की कम से कम दुगुनी राशि स्टार्टअप्स में निवेश करनी होती है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित है। पिछले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है और 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2023 तथा 2024 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटीकृत ऋण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सभी प्रकार के नए व्यवसायों और उनकी सफलता दर को कवर करने वाले किसी भी सटीक या व्यक्तिपरकता के पुट से मुक्त आंकड़ों का परिकलन कर पाना कठिन होगा। इसलिए, स्टार्टअप की सफलता या विफलता के संबंध में जानकारी सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4845 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 के दौरान, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	13	9	13	20
आंध्र प्रदेश	235	298	381	586	606
अरुणाचल प्रदेश	0	4	9	17	13
असम	119	190	285	362	347
बिहार	265	390	526	812	842
चंडीगढ़	55	69	81	126	102
छत्तीसगढ़	155	167	237	362	460
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	5	12	12	11	16
दिल्ली	1,817	2,216	2,580	3,161	2,852
गोवा	67	81	107	98	125
गुजरात	881	1,728	2,282	3,295	3,444
हरियाणा	830	1,070	1,334	1,743	1,731
हिमाचल प्रदेश	41	56	120	144	145
जम्मू और कश्मीर	64	131	170	246	275
झारखंड	165	191	239	337	331
कर्नाटक	1,776	2,156	2,568	3,035	3,173
केरल	710	923	1,078	1,296	1155
लद्दाख	1	1	5	5	5
लक्षद्वीप	1	0	0	2	0
मध्य प्रदेश	427	562	898	1,267	1193
महाराष्ट्र	2,736	3,736	4,812	5,816	5,737
मणिपुर	13	37	31	26	55
मेघालय	0	9	10	18	17
मिजोरम	1	2	6	13	16
नागालैंड	5	7	7	22	35
ओडिशा	280	397	451	620	547
पुदुच्चेरी	14	17	30	43	27
पंजाब	146	244	294	443	406
राजस्थान	503	623	992	1,445	1246
सिक्किम	1	4	2	2	0
तमिलनाडु	772	1,107	1,811	2,816	2,656
तेलंगाना	819	994	1,381	1,760	1,809
त्रिपुरा	23	12	27	23	45
उत्तर प्रदेश	1,401	1,981	2,583	3,432	3,487
उत्तराखंड	114	162	236	271	269
पश्चिम बंगाल	405	692	1,002	1,174	1107
कुल योग	**14,852**	**20,282**	**26,596**	**34,842**	**34,294**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4845 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में कुल निवेश सहित पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में एफएफएस के तहत चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)**	**31 जनवरी 2025 तक चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किया गया कुल निवेश (करोड़ रु. में)**
आंध्र प्रदेश	35.60	35.60
अरुणाचल प्रदेश	1.40	1.40
असम	38.55	40.95
बिहार	140.09	153.68
चंडीगढ़	11.58	11.58
छत्तीसगढ़	54.23	54.23
दिल्ली	2,733.01	3,227.29
गोवा	124.39	124.39
गुजरात	686.06	689.20
हरियाणा	1,789.47	2,001.10
जम्मू और कश्मीर	50.00	50.00
झारखंड	7.20	12.20
कर्नाटक	5,692.50	6,947.86
केरल	240.57	263.68
मध्य प्रदेश	167.67	173.12
महाराष्ट्र	4,380.77	5,227.90
मणिपुर	6.35	6.35
मेघालय	1.05	1.05
नागालैंड	0.65	0.65
ओडिशा	13.74	14.31
पुदुच्चेरी	0.75	0.75
पंजाब	72.93	87.48
राजस्थान	298.59	340.36
तमिलनाडु	1,045.62	1,306.12
तेलंगाना	481.91	569.50
त्रिपुरा	1.00	1.00
उत्तर प्रदेश	465.75	535.75
उत्तराखंड	7.36	7.58
पश्चिम बंगाल	84.19	133.44
कुल योग	**18,632.98**	**22,018.52**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4845 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित कुल निधि सहित पिछले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में एसआईएसएफएस के तहत चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित निधि (करोड़ रुपए में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वर्ष 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपए में)**	**31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित कुल निधि (करोड़ रुपए में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.04
आंध्र प्रदेश	9.73	9.73
अरुणाचल प्रदेश	0.20	0.20
असम	5.52	5.52
बिहार	7.87	7.87
चंडीगढ़	2.85	2.85
छत्तीसगढ़	2.16	2.16
दिल्ली	34.74	34.74
गोवा	2.81	2.81
गुजरात	35.62	35.62
हरियाणा	21.08	21.08
हिमाचल प्रदेश	2.99	2.99
जम्मू और कश्मीर	2.05	2.55
झारखंड	3.03	3.03
कर्नाटक	75.23	75.23
केरल	10.36	10.36
मध्य प्रदेश	17.23	17.53
महाराष्ट्र	86.81	86.94
मणिपुर	0.30	0.30
मेघालय	0.24	0.24
मिजोरम	1.15	1.15
नागालैंड	3.87	3.87
ओडिशा	11.31	11.51
पुदुच्चेरी	0.97	0.97
पंजाब	6.98	6.98
राजस्थान	17.99	17.99
सिक्किम	0.20	0.20
तमिलनाडु	44.93	45.41

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वर्ष 2021, 2022, 2023 तथा 2024 में चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपए में)**	**31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित कुल निधि (करोड़ रुपए में)**
तेलंगाना	35.00	35.00
उत्तर प्रदेश	32.59	32.65
उत्तराखंड	3.73	3.73
पश्चिम बंगाल	6.15	6.22
कुल योग	**485.7**	**487.4**

*****

अनुबंध-IV

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4845 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, गारंटीकृत ऋण की कुल राशि सहित पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2023 तथा 2024 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटीकृत कुल ऋण राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वर्ष 2023 तथा 2024 में स्टार्टअप्स को गारंटीकृत कुल ऋण राशि (करोड़ रुपए में)**	**31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप्स को गारंटीकृत कुल ऋण राशि**
आंध्र प्रदेश	15	15.00
असम	2.52	2.52
बिहार	0.28	0.28
चंडीगढ़	0.15	0.15
दिल्ली	51.61	51.61
गुजरात	9.5	9.50
हरियाणा	83.42	83.42
जम्मू और कश्मीर	14.35	14.35
कर्नाटक	67.34	67.34
केरल	29	29.00
मध्य प्रदेश	9.8	9.80
महाराष्ट्र	124.74	128.64
राजस्थान	32.3	32.30
तमिलनाडु	70.6	70.65
तेलंगाना	5.47	5.47
उत्तर प्रदेश	38.98	40.78
उत्तराखंड	10	10.00
पश्चिम बंगाल	36.75	36.75
योग	**601.8**	**607.5**

*****